न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2023

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. अनिल कुमार पुत्र मंगतुराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सोहनलाल सुथार पुत्र मंगतुराम सुथार जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. मंगतुराम पुत्र हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. बरजी पत्नी हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. मंजु पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा, अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 145/141 की कुल 18.1960है0 भूमि मृतक हसराम पुत्र घेरूराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हसराम पुत्र घेरूराम के नाम से दर्ज है जो कि वादीगण का दादा एवं प्रतिवादी 1 व 3 ता 7 का पिता एवं प्रतिवादीया स0 2 का पति है। हसराम पुत्र घेरूराम का देहान्त हो चुका है अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण हसराम पुत्र घेरूराम के वारिस होने के कारण अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। है। हसराम पुत्र घेरूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 ता 7 है जो मृतक हसराम पुत्र घेरूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रतिवादीया स0 2 जो कि वादीगण की दादी व प्रतिवादी स0 1 की माता है व प्रतिवादीया स0 3 ता 7 जो कि वादीगण की बुआ व प्रतिवादी स0 1 की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा हे अपने पुत्र/पौत्र/भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त भूमि वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एवं प्रतिवादी स0 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 7 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 8 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा नगरासरी ईएक्सपी–1, पारिवारिक समझौता ईएक्सपी–2, सदस्य प्रमाण पत्र ईएक्सपी–3,4, मृत्यु प्रमाण पत्र हसराम ईएक्सपी–5 आदि दस्तावेज पेश किये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक समझौता ईएक्सपी–2 इस आशय का पेश किया गया की उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीया स0 2 ता 7 कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है। बाद हक त्याग रोही मौजा नगरासरी के खाता स0 145/141 की कुल 18.1960है0 भूमि में से 6.072है0 भूमि पर राजेश कुमार, अनिल कुमार, सोहनलाल पु0 मंगतुराम बहिब काबिज है तथा शेष भूमि पर मंगतुराम काबिज है। मिकरान इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है जिसके लिए मिकरान व वारिसान फरिकेन सहमत है किसी को कोई एतराज नही है। यह पारिवारिक समझौता राजीनामा होश हवाश मे रहकर स्वस्थ चित से बिना किसी दवाब के तहरीर करवा दिया है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा व राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 7 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया स0 2 ता 7 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादीगण अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल तथा वादीगण व प्रतिवादी स0 1 ता 7 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:54 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 145/141 की कुल 18.1960है0 भूमि मृतक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हसराम पुत्र घेरूराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक हसराम पुत्र घेरूराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीसं0 1 ता 7 द्वारा वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा व राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 145/141 की कुल 18.1960है0 भूमि मृतक हसराम पुत्र घेरूराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है, में मृतक हसराम पुत्र घेरूराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 6.072है0 भूमि का वादीगण 1 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/4/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:54 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 10/2023

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र मंगतुराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. अनिल कुमार पुत्र मंगतुराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. सोहनलाल सुथार पुत्र मंगतुराम सुथार जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. मंगतुराम पुत्र हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
2. बरजी पत्नी हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
3. मंजु पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
4. सिलोचना पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
7. मैना पुत्री हंसराम जाति सुथार निवासी नगरासरी तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 10 सन 2023 निर्णय दिनांक.....6/4/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदरा व वकील प्रतिवादी श्री भरतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077–2080 के खाता स0 145/141 की कुल 18.1960है0 भूमि मृतक हसराम पुत्र घेरूराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है, में मृतक हसराम पुत्र घेरूराम का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि में से 6.072है0 भूमि का वादीगण 1 ता 3 को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/4/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:58:54 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर